

दिनांक-20.09.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कैमूर जिलांतर्गत दो अर्द्ध 12 पी0ओ0 आवास के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त तकनीकी बीड पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री चंचल कुमार
प्रधान सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री योगेन्द्र सिंह
अभियंता प्रमुख-सह-अपरआयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | श्री सतीश कुमार सिंह
अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
भवने निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iv) | श्री कश्यप कुमार गुप्ता
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | कार्य का नाम | - | कैमूर जिलांतर्गत दो अर्द्ध 12 पी0ओ0 आवास के निर्माण कार्य। |
| 2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹ 12.88/-करोड़ (विधि विभाग का ज्ञापांक-9626 दिनांक-04.12.2018) |
| 3 | संशोधित तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹9.5717/-करोड़ मुख्य अभियंता (नि0) का पत्रांक-1109(नि0) दिनांक-06.08.2019 |
| 4 | परिमाण विपत्र की राशि
(विद्युत कार्य छोड़कर) | - | ₹8.5697543/-करोड़ (असैनिक, स्वच्छता, अधिष्ठापन फर्निचर एवं फायर फाईटिंग कार्य सहित) । |
| 5 | निविदा आमंत्रण सूचना सं0 एवं प्रकाशनकी तिथि | - | पी0आर0संख्या-05766(भ0) 19-20 हिन्दुस्तान समाचार पत्र मे दिनांक-06.08.2019 |
| 6 | निविदा आमंत्रण की तिथि | - | 05.03.2019 |
| 7 | निविदा की तिथि | - | 07.09.2019 |
| 8 | निविदा खोलने की तिथि | - | 09.09.2019 |
| 9 | <u>निविदादाता का नाम एवं पता</u> | - | (1) मे0 राम छबीला राय, पी0पी0 रोड, रामबाग, बक्सर।
(2) सत्येन्द्र कुमार कंस्ट्रक्सन प्रा0 लि0, 202 हीरा इन्वलेव, न्यू डाकबंगला रोड, पटना। |

10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का मंतव्य:-

प्रथम बार आमंत्रित ई-निविदा (वर्तमान) की कार्यवाही:-


दिनांक 20.09.2019 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भभुआ द्वारा निविदा में शामिल कुल दो निविदाकारों द्वारा अपलोड किये गये निविदा कागजातों को डाउनलोड कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा आमंत्रण में मांगी गयी अग्रधन की राशि बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका-162(2) के अनुसार 10 करोड़ से अधिक की योजनाओं में प्रथम 10 करोड़ पर 2 प्रतिशत की दर से एवं शेष उपर की राशि पर 1 प्रतिशत की राशि से अग्रधन का प्रावधान किया जाना है। किन्तु इस निविदा में भूलवश


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त निविदा को रद्द करने एवं पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की गयी एवं सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।


11 विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त निविदा का प्रकाशन बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका-162(2) के अनुसार नहीं होने के कारण निविदा को रद्द करने एवं पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही गलत निविदा करने के लिए कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछकर अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(कश्यप कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता (द०)
भवन निर्माण विभाग
बिहार पटना।


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव -सह-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।



(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार पटना।


(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार पटना।

ज्ञापांक:- भवन/मु०अभि०(द०)यो०प्राक्०-1-18/2019.....1.6.2.8.3

पटना/दिनांक...20/9/19...

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(कश्यप कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता (द०)।